स्टेट आफ महाराष्ट्र

बनाम

मधुकर वामन राव समर्थ

दाण्डिक अपील संख्या 520-521/2008

निर्णय दिनांक 24-03-2008

(न्यायमूति डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. सदाशिवम)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389- अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन-धोखाधड़ी, धोखाधडी के लिये उकसाना, आपराधिक न्यास भंग एवं आपराधिक षडयंत्र के दोषिसद्ध व्यक्ति काे जमानत पर रिहाइ-स्वीकार करने योग्य नहीं- जमानत स्वीकार करते समय उच्च न्यायालय द्वारा बताये गये कारण मापदण्डों पर सही नहीं है- जमानत आदेश खारिज-याचिका पुनर्विचार के लिये मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

विचारणीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आपराधिक षडयंत्र रचते हुये सामान्य आशय के अग्रसरण में धाेखाधडी, धोखाधडी करने के लिये फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करना तथा उन्हें असली के रूप में प्रयोग के अपराध का दुष्प्ररेण तथा आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिये दोषसिद्ध घोषित किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर धारा 389 सीआरपीसी के तहत अपील लंबित

रहने के दौरान सजा को निलंबित रख जमानत पर रिहाइ मांगी। उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर की अपीलार्थीण को जमानत दी गई कि अपीलार्थीण दौराने विचारण जमानत पर थे तथा उनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया तथा अपीलों के निस्तारण में देरी की संभावना थी और दाण्डिक अपील संख्या 520-521/2008 में उनके विरूद्ध आयी साक्ष्य कम विश्वसनीय प्रतीत होती है। इसलिये यह अपील पेश हुई है।

अपील स्वीकार तथा प्रकरण प्रेषित।

अभिनिर्धारित जो मापदण्ड मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्डादेश प्रार्थना पत्र में अपील लंबित रहने के दौरान सजा के निलंबन पर लागू किये जाने व अन्य मामलों पर लागू नहीं होते, परन्तु अपराध की गंभीरता, दी गइ सजा तथा अन्य कइ समान कारकों पर भी न्यायालय को विचार करना चाहिये। यह तथा कि दौराने विचारण अभियुक्त जमानत पर था। यह निश्चित रूप से प्रासंगिक कारण नहीं है। गैर अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा इसे उचित रूप से स्वीकार किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय जो कारण बताये हैं वह मापदण्डों को पूरा नहीं करते है। यह उल्लेख करना जरूरी है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये सजाएं लगातार चलने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया। इन सब परिस्थितियों में सभी आलौच्य आदेश असमर्थनीय है तथा अपास्त किये

जाने का आदेश दिया जाता है। परन्तु इस तथ्य पर विचार करते हुये कि उच्च न्यायालय द्वारा सही सिद्धान्तों को लागू नहीं किया। उच्च न्यायालय के लिये यह उचित होगा कि वह इस प्रक्रम पर पुनः विचार करे तथा इस कारण से यह प्रकरण उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। (पैरा नंबर 11) [312-डी, इ, एफ, जी]

किशोरीलाल बनाम रूपा व अन्य 2004(7) एस-सी-सी- 639 वसन्त तुकाराम पंवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005(5) एस-सी-सी- 281 लागू होते है।

दाण्डिक अपील क्षेत्राधिकारः दाण्डिक अपील संख्या 520-521/2008

बाम्बे उच्च न्यायालय नागपुर बैंच के अपील संख्या 1698 और 1775/2007 निर्णय दिनांक 22-06-2007 व 29-06-2007 के आदेश से साथ

दाण्डिक अपील संख्या 522, 523,524-527, 528 एवं 529/2008

शेखर नपाडे, रवीन्द्र केशवराव अपीलाथी की ओर से।

अशोक श्रीवास्तव, यू.यू. ललीत, सत्यजीत ए. देशाइ, अनाघा एस. देशाइ, पी.एन. गुप्ता, डॉ. आर.एस. सुन्दरम, गगन सांगी, निहीर वाइ. कानाडे, पोरूष कोतवाल, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अनमोल एन. सूयर्वंशी,

नवीन आर.नाथ, ललीत मोहिनी भाट एवं दशरथ नाथ प्रतिवादी/गैर अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा आदेश पारित किया जाता है

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इन सभी प्रकरणों में बाम्बे उच्च न्यायायल नागपुर बैंच के द्वारा प्रतिवादी को दी गइ जमानत को चुनौती दी गइ है चूंकि इन सभी अपीलों में एक समान मानदण्ड है, इसलिये इन्हें एक साथ लिया जाता है।

3. प्रतिवादीगण/उत्तरदाता पर आरोप लगाये गये कि उनके द्वारा सामान्य आशय को पूरा करने के लिये आपराधिक षडयंत्र के तहत धोखाधडी, मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेज बनाया तथा उनका असली के रूप में उपयोग धोखाधडी के लिये तथा आपराधिक न्यास भंग का दोषी माना है उसके अनुसार कानून लागू किया।

4. प्रतिवादी/उत्तरदाता को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया तथा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा धारा 389 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार सजा को निलंबित रखते हुये जमानत देने की प्रार्थना की गई। उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिक तौर पर जमानत इस आधार पर प्रदान की गई कि प्रतिवादी/गैरअपीलार्थी विचारण के दौरान जमानत पर आजाद थे और उनके द्वारा जमानत पर रिहाई का

दुरूपयोग नहीं किया गया। आगे के आधार यह बताते है कि इस अपील के निर्धारण में समय लगेगा। मधुकर (प्रतिवादी)/ गैरअपीलार्थी के प्रकरण में यह कहा गया कि उसके विरूद्ध साक्ष्य बहुत कम दिखाई देते है।

5. प्रत्येक प्रकरण में पारित आदेश के औचित्य पर प्रश्न करते हुये, सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि अभिलेखो में बडे पैमाने पर हेराफेरी हुई है। जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद्वारों के परिणाम में हेराफेरी हुई और इनमें से प्रत्येक गैरअपीलार्थी की अलग से निश्चित भूमिका रही है। इस प्रकरण में जिन मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया है, उनके अलावा बडी संख्या में इससे जुडे अनेकों प्रकरण आज भी बडे पैमाने पर लंबित है। प्रतिवादी/गैरसायल यादव नाथोबा कोंचडे के मामले में, दो प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लंबित है। एक प्रकरण में प्रतिवादी/गैरअपीलार्थी को अनुसंधान अधिकारी को रिश्वत का प्रस्ताव देते हुये रंगें हाथों पकड़ा गया था। यह भी निवेदन किया गया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुये सजाऐं लगातार चलने का निर्देश भी संहिता की धारा 31 (1) के अनुसार दिया गया है। यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय को प्रतिवादी/गैरअपीलार्थी मधुकर के प्रकरण में यह कहते हुये गुमराह किया गया है कि उसके द्वारा जुर्माना राशि अदा कर दी गई है जबकि यह तथ्य की उसने ऐसा नहीं किया है। जैसा कि दूसरे आदेश से स्पष्ट होगा। यह आवश्यक रूप से निवेदित है कि

बिना किसी मुमकिन/ उचित कारण के बहुत कम कारण पर विचार करते हुये धारा 389 के अन्तर्गत जमानत प्रदान की गई। अभियुक्त/प्रतिवादी को जिस अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया था, उसकी गंभीरता को पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है।

6. प्रतिवादी/गैरअपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दूसरी ओर से यह निवेदन किया गया कि जमानत देने तथा जमानत रद्द करने के मापदण्ड अलग-अलग है। यह निवेदित किया गया कि उनमे से कई अभियुक्त/प्रतिवादी बुजुर्ग है तथा नौकरी से सेवानिवृत हो चुके है। यह उस प्रकार का प्रकरण नहीं है, जिमसें कोई अनौचित्य/अप्रासंगिक कारण लिया गया हो। प्रतिवादी मधुकर द्वारा यह भी बताया गया कि केवल दो चिट जो प्रदर्शित हुई है आरोपी के पास केन्द्र होना बताया है। यह ही एक मात्र कड़ी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता सिद्ध/स्थापित नहीं कर पाये है। यही कारण रहा है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य को बहुत कम होना पाया है।

7. जवाब में सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कुछ प्रकरणों में उदाहरण के लिये आरोपी सामराव किशनराव कमलाकर के जमानत पर रिहा करने का आधार सहअभियुक्त की जमानत है। इसलिये मधुकर द्वारा लिये गये आधार उचित नहीं थे क्योंकि सहअभियुक्तगण में से

एक अभियुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त मधुकर द्वारा गैरकानूनी कार्य करने के लिये दबाव डाला गया था।

8. इसका तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है-

महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर वामनराव समर्थ (न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत)

क्रम संख्या	मुकदमे का नाम व संख्या	मुकदमा संख्या	दोषसिद्धि द्धि की तारीख	जमानत की तारीख	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	निर्णय की प्रति उपलब्ध करवाने की तारीख	धारा के तहत दोषसिद्धि	कारावास
1	महाराष्ट्र राज्य बनाम सुनील मिश्रा	नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 372@02	10-01-2007	22-02-2007	43 दिन	कोई सूचना नहीं है।	ए अन्तर्गत धारा 420 सपठित धारा 34, 109 आईपीसी धारा 248(11) सीआरपीसी	ए 6 वर्ष का कठोर कारावास और 20000 रुपये जुर्माना एवं अदम अदायगी 3 महीने का कठोर कारावास
							बी अन्तर्गत धारा 468 सपठित धारा 34, आईपीसी धारा 248(11) सीआरपीसी	बी 5 वर्ष का कठोर कारावास और 15000 रुपये का जुर्माना अदम अदायगी 2 महीने का कठोर कारावास
							सी अन्तर्गत धारा 471	सी 1 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये

							सपठित धारा 34, आईपीसी धारा 248(11) सीआरपीसी	का जुर्माना अदम अदायगी 1 महीने का कठोर कारावास
							डी धारा 120 बी$धारा 248 भादंसं एवं धारा 248(11) सीआरपीसी कुल कारावास	डी 6 माह का कठोर कारावास और 2000 रूपये का जुर्माना अदम अदायगी 15 दिन का कठोर कारावास सजा क्रम से चलेगी
								12 वर्ष 6 माह
2	महाराष्ट्र राज्य बनाम राजेन्द्र यादव	नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 380@02	01-03-2007	23-03-2007	22 दिन	04-03-2007	ए अन्तर्गत धारा 420, सपठित धारा 34 भादंसं	ए 4 वर्ष का कठोर कारावास और 20000/- रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 2 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							बी धारा 468 सपठित धारा 34 भादंसं	बी 3 वर्ष का कठोर कारावास और 15000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 1 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							सी अन्तर्गत धारा 471 सपठित धारा 34 भादंसं	सी 1 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 1 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा

							डी अन्तर्गत धारा 120 बी सपठित धारा 34 एवं 109 भादंसं	डी 6 माह का कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 15 दिन का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							ई अन्तर्गत धारा 409 आईपीसी कुल कारावास	ई 4 वर्ष का कठोर कारावास और 20000/- रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 2 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा 12 साल 6 महीने
3	महाराष्ट्र राज्य बनाम शैलेष तुपकारी	नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 368/02	18-06-2007	30-06-2007	12 दिन	20-06-2007	ए अन्तर्गत धारा 420, सपठित धारा 34 भादंसं	ए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 2 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							बी अन्तर्गत धारा 468, सपठित धारा 34 भादंसं	बी 5 वर्ष का कठोर कारावास और 15000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 2 महीने का कठोर

								करावास अलग से भुगतना होगा
							सी अन्तर्गत धारा 471 सपठित धारा 34 भादंसं	सी 1 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 1 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							डी अन्तर्गत धारा 120बी सपठित धारा 34 एवं 109 भादंसं	डी 6 माह का कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 15 दिन का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							ई अन्तर्गत धारा 409 आईपीसी	ई 3 वर्ष का कठोर कारावास और 20000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 3 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							कुल कारावास	12 साल 6 महीने
4	महाराष्ट्र राज्य बनाम महेन्द्र गोटी	नियमित आपराधिक मामला संख्या 361@02	12-02-2008	12-02-2008 को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और कारागृह में है	हिरासत में है।	14-02-2008	ए अन्तर्गत धारा 420 सपठित धारा 34 भादंसं	ए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 2 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							बी अन्तर्गत धारा 468, सपठित धारा 34 भादंसं	बी 5 वर्ष का कठोर कारावास और 15000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 2 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना

								होगा
							सी अन्तर्गत धारा 471, सपठित धारा 34 भादंसं	सी 1 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 1 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							डी अन्तर्गत धारा 120 बी सपठित धारा 34 एवं 109 भादंसं	डी 6 माह का कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 15 दिन का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा
							ई अन्तर्गत धारा 409 आईपीसी	ई 3 वर्ष का कठोर कारावास और 20000 रुपये का जुर्माना। अदम अदायगी 3 महीने का कठोर करावास अलग से भुगतना होगा (सजा क्रम से चलेगी)
							कुल कारावास	12 साल 6 महीने
5	महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद ईशाक	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति
6	महाराष्ट्र राज्य बनाम लक्ष्मीकांत झांडे	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति
7	महाराष्ट्र राज्य बनाम अतुल	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति

	गुडाधे							
8	महाराष्ट्र राज्य बनाम पराग बागड़े	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति

9. सजा के निलंबन और जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय उच्च न्यायालय द्वारा देखे जाने वाले मापदंडों पर इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में प्रकाश डाला गया है। किशोरीलाल बनाम रूपा और अन्य में। (2004(7) एससीसी 639) इसे इस प्रकार देखा गयाः

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 अपील लंबित रहने तक सजा के निष्पादन निलंबित करने और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। जमानत और सजा के निलंबन के बीच अंतर है। धारा 389 आवश्यक सामग्री में से एक अपीलीय न्यायालय को सजा के निष्पादन को निलंबित करने या अपील किये गये आदेश के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि वह कारावास में हैं तो उक्त अदालत उसे जमानत या अपने बंध पत्र पर रिहा करने का निर्देश दे सकती है। कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रासंगिक पहलूओं पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सजा का निलंबित करने

और जमानत दने का निर्देश देने वाला आदेश नियमित मामले के रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए। ''

10. उपरोक्त स्थिति को वसंत तुकाराम पंवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005)(5)एससीसी 281 में पुनः दोहराया गया।

11. यह सही है कि जिन मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा दी गई है, वहां लागू होने वाले मापदण्ड अन्य मामलों पर लागू नहीं हो सकते हैं। लेकिन, अपराध की गंभीरता, दी गई सजा और इसी तरह के कई अन्य समान कारकों पर न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता है। यह तथ्य कि अभियुक्त मुकदमे के दौरान जमानत पर था, निश्चित रूप से एक प्रासंगिक कारक नहीं है। उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस स्थिति को उचित रूप से स्वीकार किया गया है। हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने का कारण मापदण्डों को पूरा नहीं करते है। यह बताने की जरूरत है कि विचारण न्यायालय ने अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए सजाएं लगातार चलाने का निर्देश दिया है। इस पहलू पर भी उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, प्रत्येक मामले में आक्षेपित आदेश बचाव योग्य नहीं है और इसे अपास्त किए जाने योग्य है। जिसे कि हम निर्देशित करते हैं। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय ने सही सिद्धांतों को लागू नहीं किया है, उच्च न्यायालय के लिये प्रकरण पर फिर से विचार

करना उचित होगा और इस उद्देश्य के लिए प्रकरण उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि उच्च न्यायालय सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करेगा और कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा।

12. अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक रजनीश (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।